न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 24 / 2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मुन्नी पत्नी अब्दुल सत्तार उम्र 50 वर्ष जाति फकीर निवासी ग्राम नूंआ हाल निवासी वार्ड नम्बर 14 मितल नगर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 मो0 अली पुत्र सदीक शाह ।
2 हमीदा पत्नी सदीक शाह समस्त जाति फकीर निवासी वार्ड नम्बर 8 नूंआ तहसील व जिला झुंझुनू।
3 शेखावाटी ग्रामीण बैंक नूआं तहसील व जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय अदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा उनवानी मुन्नी बनाम मो. अली दावा बाबत इस्तकरार हक, बंटवारा व दुरूस्ती रिकार्ड मु.नं. 180 / 2012 निर्णय दिनांक 14.02.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

उपस्थित

1. श्री अनवर हसन अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राधेश्याम सामरिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6-12-18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 180/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम नूंआ की भूमि गत खसरा नम्बर 42,159/3,159/4 हाल खसरा नम्बर 56 व 319 स्वंय के दादा मिश्रीशाह की होना कथन कर विरासत से स्वंय का 1/3 हिस्सा घोषित करने का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट की और से वाद मियाद बाहर होना अंकित कर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने अपीलांट का जवाब प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय से आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद वादी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि मिश्रीशाह की खातेदारी की थी मिश्रीशाह का पुत्र सदीक शाह मिश्रीशाह के जीवन काल में ही मर चुका था सदीक शाह के 3 वारिस हुये जिनमें प्रथम वादी अपीलांट द्वितीय रेस्पोडेंट संख्या 1 तृतीय रेस्पोडेंट संख्या 2 हुये है विधि अनुसार मिश्रीशाह की भूमि में वादी 1/3 की अधिकारिणी है इस हेतु वाद प्रस्तुत किया था विचारण न्यायालय ने 7

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नियम 11 के तहत विधि विपरित निर्णय पारित कर वाद को विधि से वर्जित मानकर खारिज कर दिया जबकि विवेचन में वाद मियाद बाहर होना अंकित कर निर्णय पारित किया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वाद खारिज योग्य नही था अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि मिश्रीशाह की स्वअर्जित है अपीलांट का नाम रिकार्ड में कभी नही आया है विरासत का नामान्तकरण आज से 38 वर्ष पूर्व हो गया था जिसकी कोई अपील नही की है। इसलिए वाद मियाद बाहर होने से विधि में वर्जित है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 का आवेदन इस विवेचन के साथ स्वीकार किया है कि " वादीया 32 वर्ष पुर्व खातेदारी में दर्ज भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में से वांछित अनुतोष किसी भी प्रकार से मियाद अधिनियम से प्रावधानों के तहत नही है अर्थात मियाद बाहर है वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मियाद बाहर होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है" इस सन्दर्भ में हमने आदेश 7 नियम 11 के विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वाद हेतु नही होने, दावा कृत अनुतोष का मूल्यांकन कम होना, पर्याप्त नही होना अंकित है वाद मियाद बाहर होने पर आदेश 7 नियम 11 की परिधि में मानकर विधि अनुसार खारिज नही किया जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि मिश्रीशाह की होना निर्विवाद है अपीलांट मिश्रीशाह की पौत्री होना निर्विवाद है 32 वर्ष पूर्व विरासत का नामान्तरण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अपीलांट के भाई एवं माता के नाम भरा गया है। अपीलांट का नाम शामिल क्यों नही किया गया यह स्पष्ट नही है इसी आधार पर अपीलांट दावा लेकर आई है। घोषणा के वाद में इस स्थिति में मियाद का बिन्दु नही देखा जाता है अपीलांट का वाद विधि द्वारा वर्जित किस प्रकार है यह रेस्पोडेंट साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में वाद बिन्दु नियत कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर समुचित सुनवाई का अवसर देकर वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.01.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.12.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

06/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर